



2026:AHC:41634

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 56/2026

जय लक्ष्मी सॉल्वेंस

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: मोहम्मद समीउज्जमां खान, तनवीर ज़फर खान

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी. (मुख्य स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यहाँ प्रस्तावित आदेश के आलोक में, निजी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी पक्ष इस आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मुख्य राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2/नायब तहसीलदार, तहसील-जंगल कौड़िया सदर, जिला गोरखपुर को निर्देश दिया जाए कि वे केस संख्या 115/134/140/1728/2019 (जय लक्ष्मी सॉल्वेंस बनाम राम भवन), जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 34/35 के तहत है, में लंबित पुनर्स्थापना आवेदन दिनांक 16/07/2024 और उसके साथ लगे विलंब क्षमा आवेदन (धारा 5, भारतीय सीमा अधिनियम-1963) दिनांक 09.01.2025 को शीघ्रता से तय करें।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. मामला प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष काफी समय से लंबित है और पर्याप्त समय बीत चुका है, परंतु आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2/नायब तहसीलदार, तहसील-जंगल कौड़िया, सदर, जिला गोरखपुर, उपरोक्त मामले में दायर पुनर्स्थापना आवेदन और विलंब क्षमा आवेदन को कानून के अनुसार अत्यंत शीघ्रता से और अधिमानतः प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से **तीन महीने** की अवधि के भीतर तय करें, तथा जब तक कोई कानूनी बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन प्रदान न किया जाए।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

23 फरवरी, 2026

विनोद